



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पंजित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- 24/11/20

प्रकरण संख्या- 49/2025

दिनांक- 25/11/2025

सुनवान

श्री रामकुमार पुत्र कल्याण
शुभर नि० दाजी मानपुर, बलारिया

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता बुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पहचारी हल्का 24/11/25 भू अ. नि. पाँवदेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम 21/12/11/25 प० ह० 24/11/25 की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 91 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	बैंक के नाम में अशुद्धि	स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर 2008 मयपुर 21/12/25 चौथ का बरवाड़ा	स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर 21/12/25 चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिनिधी -

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख ह कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री रामकुमार पुत्र कल्याण शुभर
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)